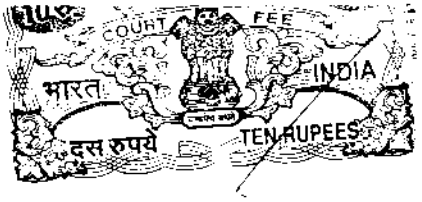

नि॰

राजस्व निगरानी क्रमांक :-

प्रस्तुति दिनांक :- 30.8.2013

माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश कार्यालय कैम्प, इन्दौर

रिव्यू 3839 -III/13

[illegible] पिता श्री गोपाल तिवारी
आयु 45 साल, धंधा-व्यापार
निवासी- 14, [illegible],
खजराना, रिंगरोड, चौराहा, इन्दौर — प्रार्थी

विरुद्ध

(1) राधाबाई पति स्व॰ गोपाल,
मृतक के वारिस

1- श्रीमती आभा पिता श्री गोपाल
(पति श्री [illegible])
आयु 47 साल,
निवासी- गायत्री अपार्टमेन्ट, पहली मंजिल,
अपोजिट आर॰टी॰ओ॰ मेनगेट,
पवई मुम्बई-76

2- श्रीमती [illegible] पिता स्व॰ गोपाल
(पति सुरेन्द्र [illegible])
आयु 43 साल, निवासी- ग्राम [illegible]
तहसील महेश्वर, जिला खरगोन

3- श्रीमती [illegible] पिता स्व॰ गोपाल
(पति श्री भगवान सिंह परिहार)
आयु 41, साल, निवासी- 119, लालाराम
नगर, इन्दौर म॰प्र॰

4- [illegible] पिता स्व॰ गोपाल
निवासी- [illegible] — प्रत्यर्थीगण

— 2 पर

30.8.13

5.10.13

पुर्नविलोकन याचिका :- अंतर्गत धारा ५१ (१) म.प्र.भू-राजस्व संहिता

**

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प, इन्दौर द्वारा प्रकरण क्रमांक ४२७८।पी.बी.आर.।१२ में पारित आदेश दि.२४-६-२०१३ को पुर्नविलोकन किये जाने बाबद **।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 3839–दो/2013 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–6–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता के सम्बंध में प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण से सम्बंधित समस्त अभिलेखों एवं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 24–6–2013 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 4278–पीबीआर/2012 में पारित आदेश दिनांक 24–6–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्क में ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, और न ही अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि ही दर्शाई गई है। आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों से इस न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रकिया को त्रुटिपूर्ण ठहराने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है।	

अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष